	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 10, सोमवार, *शाके* 1942–मार्च *1,* 2021 *Phalguna 10, Monday, Saka 1942- March 1, 2021*	

भाग-3(क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 01, 2021

संख्या एफ. 13(10)विशा/विस/2021 :-**दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021** जैसा कि दिनांक 01 मार्च, 2021 को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया, सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

Bill No. 10 of 2021

THE CRIMINAL LAWS (RAJASTHAN AMENDMENT) BILL, 2021

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Indian Penal Code, 1860 and the Code of Criminal Procedure, 1973, in their application to the State of Rajasthan.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-second Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Criminal Laws (Rajasthan Amendment) Act, 2021.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

CHAPTER II
AMENDMENTS IN THE INDIAN PENAL CODE, 1860

2. Amendment of section 272, Central Act No. 45 of 1860.- In section 272 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860), hereinafter in this Chapter referred to

as the principal Act, for the existing expression "shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.", the expression "shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year but which may extend to seven years and with fine which shall not be less than ten thousand rupees and if such adulteration of article of food or drink is dangerous to human life, he shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years but which may extend to imprisonment for life and with fine which shall not be less than fifty thousand rupees." shall be substituted.

3. Amendment of section 273, Central Act No. 45 of 1860.- In section 273 of the principal Act, for the existing expression "shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.", the expression "shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year but which may extend to seven years and with fine which shall not be less than ten thousand rupees and if such article of food or drink that has been rendered or has become noxious is dangerous to human life, he shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years but which may extend to imprisonment for life and with fine which shall not be less than fifty thousand rupees." shall be substituted.

4. Amendment of section 274, Central Act No. 45 of 1860.- In section 274 of the principal Act, for the existing expression "shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.", the expression "shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year but which may extend to seven years and with fine which shall not be less than ten thousand rupees and if such adulteration of drug or medical preparation is dangerous to human life, he shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years but which may extend to imprisonment for life and with fine which shall not be less than fifty thousand rupees." shall be substituted.

5. Amendment of section 275, Central Act No. 45 of 1860.- In section 275 of the principal Act, for the existing expression "shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.", the expression "shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year but which may extend to seven years and with fine which shall not be less than ten thousand rupees and if such adulteration of drug or medical preparation is dangerous to human life, he shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years but which may extend to imprisonment for life and with fine which shall not be less than fifty thousand rupees." shall be substituted.

6. Amendment of section 276, Central Act No. 45 of 1860.- In section 276 of the principal Act, for the existing expression "shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.", the expression "shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year but which may extend to seven years and with fine which shall not be less than ten thousand rupees and if such drug or medical preparation is dangerous to human life, he shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years but which may extend to

imprisonment for life and with fine which shall not be less than fifty thousand rupees." shall be substituted.

CHAPTER III
AMENDMENT IN THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973

7. Amendment of First Schedule, Central Act No. 2 of 1974.- In the First Schedule "CLASSIFICATION OF OFFENCES" to the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), under the heading **"I.-OFFENCES UNDER THE INDIAN PENAL CODE",** for the existing entries relating to sections 272 to 276, the following entries shall be substituted, namely:-

"

272	Adulterating food or drink intended for sale, so as to make the same noxious.	Imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year but which may extend to seven years and with fine which shall not be less than ten thousand rupees.	Cognizable	Non-bailable	Court of session
	If such adulteration of article of food or drink is dangerous to human life.	Imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years but which may extend to imprisonment for life and with fine which shall not be less than fifty thousand rupees.	Ditto	Ditto	Ditto.
273	Selling any food or drink as food and drink, knowing the same to be noxious.	Imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year but which may extend to seven years and with fine which shall not be less than ten thousand rupees.	Ditto	Ditto	Ditto
	If such article of food or drink that has been rendered or has become noxious is dangerous to human life.	Imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years but which may extend to imprisonment for life	Ditto	Ditto	Ditto.

274	Adulterating any drug or medical preparation intended for sale so as to lessen its efficacy, or to change its operation, or to make it noxious.	Imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year but which may extend to seven years and with fine which shall not be less than ten thousand rupees.	Ditto	Ditto	Ditto
	If such adulteration of drug or medical preparation is dangerous to human life.	Imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years but which may extend to imprisonment for life and with fine which shall not be less than fifty thousand rupees.	Ditto	Ditto	Ditto.
275	Offering for sale or issuing from a dispensary any drug or medical preparation known to have been adulterated.	Imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year but which may extend to seven years and with fine which shall not be less than ten thousand rupees.	Ditto	Ditto	Ditto
	If such adulteration of drug or medical preparation is dangerous to human life.	Imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years but which may extend to imprisonment for life and with fine which shall not be less than fifty thousand rupees.	Ditto	Ditto	Ditto.

276	Knowingly selling or issuing from a dispensary any drug or medical preparation as a different drug or medical preparation.	Imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year but which may extend to seven years and with fine which shall not be less than ten thousand rupees.	Ditto	Ditto	Ditto
	If such drug or medical preparation is dangerous to human life.	Imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years but which may extend to imprisonment for life and with fine which shall not be less than fifty thousand rupees.	Ditto	Ditto	Ditto.

”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The practice of adulteration of food and drink articles as well as drugs is a serious threat to health and life of the public.

Sections 272 to 276 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860) provides for offences relating to adulteration of food, drink, drug or medical preparations so as to make it noxious and their sale. The said offences are punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

The said offences are non-cognizable and except offence related to adulterating any drug or medical preparation under section 274, the offences under sections 272, 273, 275 and 276 are bailable.

Apart from the penal provisions of the Indian Penal Code, section 59 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (Central Act No. 34 of 2006) (hereinafter referred to as "the Food Safety Act") also provides for different punishments, for offences such as manufacturing for sale or storing or selling or distributing or importing any article of food for human consumption which is unsafe, depending upon the gravity of injury caused thereby. The maximum punishment provided under the said section 59 is imprisonment for life and such offences are cognizable under the said Act.

Also, section 27 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (Central Act No. 23 of 1940) (hereinafter referred to as "the Drugs Act") provides punishment for manufacturing for sale or distribution or for selling or storing or distributing any drug which is adulterated or spurious. Under the said section 27 of the Drugs Act punishment of imprisonment for a term from ten years to imprisonment for life and fine is provided and the offence under said section 27 is cognizable.

Thus, there are drastic variations in punishments for the offences related to adulteration of food and drugs with the Indian Penal Code containing mildest punishments of six months imprisonment or fine and the Food Safety Act and the Drugs Act containing stringent punishments of imprisonment for life.

It is also noticed that at many instances during the raids by Police, the offences of the adulterated or unsafe food as well as adulterated or spurious drugs are detected in respect of which First Information Report is registered under said sections 272 to 276 of the Indian Penal Code. In such cases, arrest or detention of the accused is necessary for the purposes of adequate and effective investigation and collection of evidence in time. Since the said offences under said sections of the Indian Penal Code are non-cognizable and bailable, the police as well as Food Safety Officer and Drug Inspector are facing difficulties in investigation of the crime which are affecting health of the public at large. Therefore, there is an urgent need for stringent punishments even for the said offences under the Indian Penal Code that can equally act as a deterrent.

Hence, the State Government considers it expedient to amend sections 272 to 276 of the Indian Penal Code and the First Schedule to the Code of Criminal Procedure for enhancing the punishments and fines provided thereunder and to make the said offences cognizable and non-bailable.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

_____

A

Bill

further to amend the Indian Penal Code, 1860 and the Code of Criminal Procedure, 1973, in their application to the State of Rajasthan.

_____

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

_____

Pramil Kumar Mathur,
Secretary.

2021 का विधेयक सं. 10

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया)

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को इनके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

अध्याय 2
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संशोधन

2. 1860 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 45 की धारा 272 का संशोधन.- भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 272 में विद्यमान अभिव्यक्ति "वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दंडित किया जाएगा और यदि खाने या पीने की वस्तु का ऐसा अपमिश्रण मानव जीवन के लिए संकटपूर्ण है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दंडित किया जाएगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 1860 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 45 की धारा 273 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 273 में विद्यमान अभिव्यक्ति "वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से,

जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दंडित किया जाएगा और यदि खाने या पीने की ऐसी वस्तु जो अपायकर कर दी गई हो या हो गई हो, मानव जीवन के लिए संकटपूर्ण है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दंडित किया जाएगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 1860 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 45 की धारा 274 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 274 में विद्यमान अभिव्यक्ति "वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दंडित किया जाएगा और यदि ओषधि या भेषजीय निर्मिति का ऐसा अपमिश्रण मानव जीवन के लिए संकटपूर्ण है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दंडित किया जाएगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. 1860 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 45 की धारा 275 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 275 में विद्यमान अभिव्यक्ति "वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दंडित किया जाएगा और यदि ओषधि या भेषजीय निर्मिति का ऐसा अपमिश्रण मानव जीवन के लिए संकटपूर्ण है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दंडित किया जाएगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. 1860 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 45 की धारा 276 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 276 में विद्यमान अभिव्यक्ति "वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दंडित किया जाएगा और यदि ऐसी ओषधि या भेषजीय निर्मिति मानव जीवन के लिए संकटपूर्ण है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दंडित किया जाएगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी।

अध्याय 3
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन

7. 1974 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 2 की प्रथम अनुसूची का संशोधन.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की प्रथम अनुसूची "**अपराधों का वर्गीकरण**" में शीर्षक "**1. भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध**" के अधीन, धारा 272 से 276 से संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"

272	विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का ऐसा अपमिश्रण जिससे वह अपायकर बन जाए।	दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
	यदि खाने या पीने की वस्तु का ऐसा अपमिश्रण मानव जीवन के लिए संकटपूर्ण है।	दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त।
273	खाद्य और पेय के रूप में किसी खाद्य और पेय को, यह जानते हुए कि वह अपायकर है, बेचना।	दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	यदि खाने या पीने की ऐसी वस्तु जो अपायकर कर दी गई हो या हो गई हो, मानव जीवन के लिए संकटपूर्ण है।	दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त।
274	विक्रय के लिए आशयित किसी ओषधि या भेषजीय निर्मिति का ऐसा अपमिश्रण जिससे उसकी प्रभावकारिता कम हो जाए या उसकी क्रिया बदल जाए या वह अपायकर हो जाए।	दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	यदि ओषधि या भेषजीय निर्मिति का ऐसा अपमिश्रण मानव जीवन के लिए	दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त।

	संकटपूर्ण है।	जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा।			
275	किसी ओषधि या भेषजीय निर्मिति को जिसके बारे में ज्ञात है कि वह अपमिश्रित है बेचने की प्रस्थापना करना या औषधालय से देना।	दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	यदि ओषधि या भेषजीय निर्मिति का ऐसा अपमिश्रण मानव जीवन के लिए संकटपूर्ण है।	दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त।
276	किसी ओषधि या भेषजीय निर्मिति को भिन्न ओषधि या भेषजीय निर्मिति के रूप में, जानते हुए, बेचना या औषधालय से देना।	दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	यदि ऐसी ओषधि या भेषजीय निर्मिति मानव जीवन के लिए संकटपूर्ण है।	दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त।

"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

खाने और पीने की वस्तुओं और साथ ही ओषधियों का अपमिश्रण किया जाना जनता के स्वास्थ्य और जीवन के लिए गंभीर खतरा है।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धाराएं 272 से 276 खाने, पीने, ओषधि या भेषजीय निर्मिति के अपमिश्रण, जो इसे अपायकर बनाता हो, और उनको बेचने से संबंधित अपराधों के लिए उपबंध करती हैं। उक्त अपराध दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय हैं।

उक्त अपराध असंज्ञेय हैं और धारा 274 के अधीन किसी ओषधि या भेषजीय निर्मिति के अपमिश्रण से संबंधित अपराध के सिवाय, धारा 272, 273, 275 और 276 के अधीन अपराध जमानतीय हैं।

भारतीय दण्ड संहिता के शास्तिक उपबंधों के अतिरिक्त, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 34) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "खाद्य सुरक्षा अधिनियम" कहा गया है) की धारा 59 भी मानव उपभोग के लिए असुरक्षित किसी खाद्य वस्तु के विक्रय के लिए विनिर्माण करने या भण्डारण करने या विक्रय करने या वितरण करने या आयात करने जैसे अपराधों के लिए, उसके कारण कारित क्षति की गंभीरता पर निर्भर करते हुए, भिन्न-भिन्न दण्डों का उपबंध करती है। उक्त धारा 59 के अधीन उपबंधित अधिकतम दण्ड आजीवन कारावास है और ऐसे अपराध उक्त अधिनियम के अधीन संज्ञेय हैं।

इसके साथ ही, ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "ओषधि अधिनियम" कहा गया है) की धारा 27 किसी ओषधि, जो अपमिश्रित या नकली है, का विक्रय करने के लिए विनिर्माण करने या वितरण करने या विक्रय करने या भण्डारण या वितरण करने के लिए दण्ड का उपबंध करती है। ओषधि अधिनियम की उक्त धारा 27 के अधीन दस वर्ष की अवधि के कारावास से आजीवन कारावास तक और जुर्माने का दण्ड उपबंधित है और उक्त धारा 27 के अधीन यह अपराध संज्ञेय है।

इस प्रकार, खाद्य और ओषधियों के अपमिश्रण से संबंधित अपराधों के लिए भारतीय दण्ड संहिता में छह मास के कारावास या जुर्माने के बहुत हल्के दण्ड होने तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम और ओषधि अधिनियम में आजीवन कारावास का कठोर दण्ड होने से दण्डों में बहुत अंतर है।

यह भी ध्यान में आया है कि पुलिस द्वारा छापों के दौरान ऐसी कई घटनाएं मिलती हैं जहां अपमिश्रित या असुरक्षित खाद्य और साथ ही साथ अपमिश्रित या नकली ओषधियों के अपराधों का पता चलता है जिनके संबंध में भारतीय दण्ड संहिता की उक्त धाराओं 272 से 276 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है। ऐसे मामलों में, पर्याप्त और प्रभावी अन्वेषण के प्रयोजनों और समय पर साक्ष्य एकत्र करने के लिए, अभियुक्त की गिरफ्तारी या निरोध आवश्यक है। चूंकि भारतीय दण्ड संहिता की उक्त धाराओं के अधीन उक्त अपराध असंज्ञेय और जमानतीय हैं इसलिए पुलिस और

साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी और ओषधि निरीक्षक ऐसे अपराधों के अन्वेषण में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं जिससे व्यापक रूप से आम जनता का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। इसलिए, भारतीय दण्ड संहिता के अधीन भी उक्त अपराधों के लिए कठोर दण्डों की अत्यंत आवश्यकता है, जिससे वे निवारक के रूप में समान रूप से कार्य कर सकें।

अत:, राज्य सरकार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 272 से 276 और दण्ड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची को, उनके अधीन उपबंधित दण्ड और जुर्माने को बढ़ाने के लिए और उक्त अपराधों को संज्ञेय और अजमानतीय बनाने के लिए, संशोधित किया जाना समीचीन समझती है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को इनके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

Government Central Press, Jaipur.